रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2005/8 आश्विन, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 002, 30 सितम्बर, 2005

संख्या एल0 एल0 आर0–डी0(6)–26/2005–लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28-9-2005 को

2618–राजपत्र/2005–30–9–2005–1,532. (3301) मूल्य : 1 रुपया।

अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक–23) को वर्ष 2005 के अधिनियम संख्यांक 28 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान-सचिव (विधि)।

2005 का अधिनियम संख्यांक 28

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2005

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 28 सितम्बर, 2005 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम। 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2005 है।

धारा 10 का संशोधन। 1994 का 13 2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 10 की उप–धारा (1) में,—

(क) विद्यमान खण्डों (i) से (vii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i)	6150 से अनधिक	. .	7 सदस्य
(ii)	6150 से अधिक किन्तु 12,300 से अनधिक	. .	9 सदस्य
(iii)	12,300 से अधिक किन्तु 24,600 से अनधिक	. .	11 सदस्य
(iv)	24,600 से अधिक किन्तु 36,900 से अनधिक	. .	13 सदस्य
(v)	36,900 से अधिक किन्तु 49,200 से अनधिक	. .	15 सदस्य
(vi)	49,200 से अधिक किन्तु 61,500 से अनधिक	. .	17 सदस्य
(vii)	61,500 से अधिक	. .	19 सदस्यः" ; और

(ख) विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि राज्य के नगरीय क्षेत्र की औसत जनसंख्या वृद्धि दर की अपेक्षा उस नगरपालिका की जनसंख्या की वृद्धि दर के अधिक या

कम होने के कारण, यथास्थिति, नगरपालिका में वार्डों (सीटों) की संख्या में बढ़ोतरी या कमी की दशा में, उस नगरपालिका के वार्डों (सीटों) की विद्यमान संख्या को उस दशा में भी बनाए रखा जाएगा ।"।

धारा 16 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 16 में, उप–धारा (1) में विद्यमान खण्ड (ण) का लोप किया जाएगा ।

धारा 141 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 141 में, विद्यमान उपबंध को उप–धारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा तथा तत्पश्चात्, निम्नलिखित नई उप–धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) उप–धारा (1) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, अपने खर्चे पर, नगरपालिका से मलवहन का संबंधन (कनैक्शन) लेकर, जहां नगरपालिका द्वारा मलवहन प्रणाली का उपबन्ध किया गया है, अपने, यथास्थिति, शौचालयों, मूत्रालयों और मलाशय (सैप्टिक टैंक) को मलवहन लाईन से जोड़ना, किसी परिसर के भवन स्वामी या अधिभोगी का कर्त्तव्य होगा और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है, तो वह ऐसे संबंधन के अन्य प्रभारों के अतिरिक्त, जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का किन्तु पांच सौ रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा, जिसके निरन्तर व्यतिक्रम की दशा में आवश्यक सेवाएं जैसे कि पानी, बिजली इत्यादि को वियोजित कर दिया जाएगा :

परन्तु जहां मलवहन लाईन अन्य व्यक्ति की भूमि से गुजर रही है, तो मलवहन लाईन ऐसी भूमि की सीमा रेखाओं के साथ से मलवहन लाईन को जोड़ा जाएगा या जहां भवन सनिर्मित किया जा चुका है, तो लाईन ऐसे भवन के सैटबैक, जो भी साध्य हो, में डाली जाएगी।"।

धारा 149 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 149 के विद्यमान उपबंध को उप–धारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात् , निम्नलिखित नई उप–धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(2) कोई व्यक्ति—

(क) किसी सार्वजनिक स्थान में बन्दरों, लंगूरों तथा अन्य आवारा पशुओं को खिलाएगा नहीं;

(ख) सार्वजनिक स्थान, लोक सड़क, लोक मार्ग या दीवारों पर थूकेगा नहीं; या

(ग) इस प्रयोजन के लिए नगरपालिका द्वारा उपलब्ध डिब्बा (कंटेनर) के अलावा किसी सार्वजनिक स्थान, सड़क, भाग या खुली पहाड़ियों पर, किसी भी प्रकार का कूड़ा–कचरा, कचरा (रिफयूज) आदि नहीं फेंकेगा।

स्पष्टीकरण.—खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए पद "सार्वजनिक स्थान" में मंदिर सम्मिलित नहीं होंगे।

धाराओं 160 तथा 161 का लोप।

(3) जो कोई भी उप–धारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह, नगरपालिका द्वारा ऐसे सार्वजनिक स्थान, सड़क, मार्ग या खुली पहाड़ियों से ऐसे कूड़ा-कचरा (रिफयूज) आदि को साफ करने या हटाने हेतु उपगत अन्य प्रभारों के अतिरिक्त, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

धारा 164 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धाराओं 160 तथा 161 का लोप किया जाएगा।

7. मूल अधिनियम की धारा 164 की उप–धारा (5) के पश्चात् नई उप धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

"(6) ऐसी फीस का संदाय करने पर जैसी ऐसे व्ययन के लिए सरकार द्वारा नियत की जाए, यथास्थिति, कार्यकारी अधिकारी या सचिव द्वारा विहित रीति में नगरपालिका द्वारा कूड़ा–कचरा का और व्ययन करने के लिए संग्रहण करना और इक्ट्ठा करना, सभी परिसरों के स्वामियों और अधिभोगियों का कर्त्तव्य होगा।"।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 28 of 2005

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2005

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 28TH SEPTEMBER, 2005)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994.)

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty–sixth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2005.

Amendment of section 10.

2. In section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), in sub-section (1),— 13 of 1994.

(a) for the existing clauses (i) to (vii), the following shall be substituted, namely:—

"(i) Not exceeding 6150 .. 7 members
(ii) Exceeding 6150 but not exceeding 12,300 .. 9 members
(iii) exceeding 12,300 but not exceeding 24,600 .. 11 members
(iv) exceeding 24,600 but not exceeding 36,900 .. 13 members
(v) exceeding 36,900 but not exceeding 49,200 .. 15 members
(vi) exceeding 49,200 but not exceeding 61,500 .. 17 members
(vii) exceeding 61,500 ..19 members:"; and

(b) after the existing proviso, the following new proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that in case of increase or decrease in the number of wards (seats) in a municipality due to higher or lesser population growth rate of that municipality than the average population growth rate of the urban area of the State, as the case may be, in that event existing number of wards (seats) of that municipality shall be maintained.".

3. In section 16 of the principal Act, in sub-section (1), the existing clause (o) shall be deleted. Amendment of section 16.

4. In section 141 of the principal Act, existing provision shall be re-numbered as sub-section (1) and thereafter, the following new sub-section shall be inserted, namely:— Amendment of section 141.

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), it shall be the duty of the house owner or occupant of any premises to connect his latrines, urinals and septic tank, as the case may be, with sewerage line where sewerage system has been provided by the municipality, at his own expenses, by getting sewerage connection from the municipality and if he fails to do so, he shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees but shall not be less than five hundred rupees, in addition to other charges for such connection which in case of continuous default will result in disconnection of essential services *viz.* water, electricity etc.:

Provided that where sewerage line is passing through other person's land, the sewerage connection shall be connected to the sewerage line through the boundary lines of such land or where the building has been constructed, the line shall be laid through the setbacks of such building, whichever is feasible.".

5. In section 149 of the principal Act, the existing provision shall be re-numbered as sub-section (1) and thereafter, the following new sub-sections shall be inserted, namely:— Amendment of section 149.

"(2) No person shall—

(a) feed the monkeys, langoors and other stray animals in any public place, or

(b) spit on public place, public road, public street or walls, or

(c) throw any type of garbage/refuse etc. on any public place, road, street or in open hill side except in a container provided by the municipality for this purpose.

Explanation.— For the purpose of clause (a), the expression "public place" shall not include temple.

(3) Whoever contravenes the provisions of sub-section (2), he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees, in addition to other charges incurred for cleaning or removal of such garbage/refuse etc. from such public place, road, street or open hill side by the municipality.

Deletion of sections 160 and 161.

6. Sections 160 and 161 of the principal Act, shall be deleted.

Amendment of section 164.

7. In section 164 of the principal Act, after sub-section (5), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(6) It shall be duty of the owners and occupiers of all premises to collect and deposit the garbage for further disposal by the municipality in the manner prescribed by the Executive Officer or Secretary, as the case may be, on payment of fee for such disposal as may be fixed by the Government.".

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित